MR. CHAIRMAN: Motion made:

"That the Bill, as amended, be passed"

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : चेयरमैन साहब, मुझे खुशी है कि यह छोटा सा बिल पास होने जा रहा है, लेकिन मुझे आप के ज़रिये इस सरकार की तवज्जह दिलानी है कि इस छोटे से बिल में सरकार को इतनी ज्यादा एमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत पड़ी है। मैं समझता हूं कि इस सरकार की इस से और ज्यादा कोई कनडेमनेशन नहीं हो सकती है। वह आईन्दा के लिए मोहतात होने की कोशिश करे और अच्छी तरह पढ़-पढ़ा कर बिल लाया करे, ताकि उस को हाउस में इतनी ज्यादा एमेंडमेंट न लानी पड़ें।

[شری عبدلغنی ڈار (گوڑگاؤں) : چیرمین صاحب - مجھے خوشی ہے کہ یہ چھوٹا سا بل پاس ہونے جا رہا ہے - لیکن مجھے آپ کے ذریعہ اس سرکار کی توجہہ دلانی ہے کہ اس چھوٹے سے بل میں سرکار کو اتنی زیادہ ایمینڈمینٹس لانے کی ضرورت پڑی ہے - میں سمجھتا ہوں کہ اس سرکار کی اس سے اور زیادہ کوئی کنڈیمنیشن نہیں ہو سکتی ہے - وہ آئیندہ کے لئے محتاط ہونے کی کوشش کرے اور اچھی طرح پڑھ پڑھا کر بل لایا کرے - تاکہ اس کو ہاوس میں اتنی زیادہ ایمینڈمینٹس نہ لانی پڑیں -]

श्री विद्या चरण शुक्ल : सभापति महोदय, मैं मौलवी साहब को बताना चाहूंगा कि यदि इस बिल में कुछ संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी, तो वह इसलिये नहीं कि इस के बारे में सरकार की कुछ सावधानी नहीं थी या मैं कुछ पढ़ कर नहीं आया, बल्कि इस का कारण यह है कि माननीय सदस्यगण ऐसे छोटे छोटे बिलों पर सदन का इतना ज्यादा समय लेते हैं कि कई छोटे छोटे बिल पड़े रहते हैं। जब वे पास होने की स्टेज पर पहुंचते हैं, तो हमें "1966" के स्थान पर "1968" करना पड़ता है और ऐसे हर एक परिवर्तन के लिए हमें संशोधन लाना पड़ता है। ये सब संशोधन केवल सन् को बदलने के लिए लाए गए हैं। यदि मौलवी साहब खुद इस बिल और इन एमेंडमेंट्स को पढ़ने की तकलीफ करते, तो वह यह सवाल न उठाते। मैं उन से इल्तजा करूंगा कि वह हाउस के सामने ऐसी बात पेश करने से पहले खुद इन चीज़ों को पढ़ लिया करें।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed"

The motion was adopted.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

16.35 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE*: GOLD (CONTROL) ORDINANCE, 1968 AND GOLD (CONTROL) BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Yashpal Singh.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: (Delhi Sadar): What is the time allotted for this?

MR. DEPUTY-SPEAKER: The total time allotted is one hour.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: One hour for the Statutory Resolution and one hour for the Minister's motion?

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Business Advisory Committee has suggested that the Bill could be referred to a Joint Committee. Therefore, it will be a brief debate here. The hon.

members will get an ample opportunity to debate it in the Joint Committee and again when the report comes, the House will have a second opportunity. Therefore, I would request the members to be very brief.

श्री कंवरलाल गुप्त : यह बहुत इम्पार्टेन्ट बिल है । इस के लिए सरकार को जितनी गाली दी जाये, उतनी ही थोड़ी है । इसलिए इस के लिए ज्यादा समय दिया जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not a question of abusing the Government. He can do it to his heart's content; I do not bother, but only in three minutes.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara): What is the time allotted?

MR. DEPUTY-SPEAKER: One hour.

The hon. members may remember that the Business Advisory Committee has reconsidered the whole issue and has suggested that the Bill be referred to a Joint Committee. So, there need not be any complaint about the time.

SHRI GADILINGANA GOWD (Kurnool): On a point of order. According to the order paper, the Statutory Resolution and the Government's motion are to be discussed together. But the hon. Finance Minister has not yet moved his motion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He will move after Mr. Yashpal Singh has moved his Resolution.

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : यह बहुत जरूरी बिल है । इस के लिए टाइम बढ़ाना चाहिए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already explained. I am not in a position to extend the time nor do I feel that there is a need for extension of time now.

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur): You can use your discretion.

Mr. DEPUTY-SPEAKER: I am not going to use my discretion on this occasion because, as I have already said, the Bill is being referred to a Joint Committee.

SHRI D. C. SHARMA: If you do not use your discretion, what are you meant for?

MR. DEPUTY-SPEAKER: If I have to use my discretion where it is not called for, it will be wrong; it will not be a judicial exercise of my discretion. (*Interruptions*)

Mr. Yashpal Singh.

SHRI YASHPAL SINGH: Sir, I move:

"This House disapproves of the Gold (Control) Ordinance, 1968, promulgated by the President on the 29th June, 1968."

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय यह बतलाने में सफल नहीं हो सके हैं कि गोल्ड पर इतनी ज्यादा पाबन्दियां और रेस्ट्रिक्शन्ज क्यों लगाई जा रही हैं । देश की दौलत तो सोने मे बढ़ती है और उस स्वर्ण को घटाया जा रहा है । देश की तरक्की का मैयार सोने के साथ वाबास्ता है । मैंने पहले भी अर्ज किया है कि हमारे जो हिन्दुस्तानी भाई विदेशों में, अमरीका, कैनेडा, इंगलैंड में, बसे हुए हैं, अगर उन लोगों के लिए कस्टम ड्यटी हटा दी जाये, तो वे इस देश को सोने से भर देंगे । इस देश में जो लोग सोना रखे हुए हैं, अगर सरकार उन से हिसाब मांगेगी, तो देश का सोना हरगिज नहीं बढ़ सकता है । सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में कुल मिला कर 45 लाख किलोग्राम सोना है, जो कि 3000 करोड़ रुपये के करीब की कीमत का है । अगर माननीय मंत्री जी इस पर इतनी रेस्ट्रिक्शन्ज न लगाते, तो आज हमारे देश में 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का सोना हुआ होता । अगर किसी के पास सोना गुप्त रूप से रखा हुआ है, तो वह देश की मुसीबत के वक्त काम

[श्री यशपाल सिंह]

आयेगा। अगर सरकार कदम कदम पर सोने को चैक करेगी, तो उस की मात्रा में वृद्धि नहीं हो सकती है। जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, तो लोगों ने दिल खोल कर करोड़ों अरबों रुपये का सोना दिया।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अरबों का कब दिया ?

श्री यशपाल सिंह : खास तौर से वैश्य कम्यूनिटी, बनिया तो है ही इसलिए। इसीलिए उसको गुप्त कहते हैं कि उसके पास सोना गुप्त होता है जो देश और जाति के काम आता है। महाराणा प्रताप ने कभी चैक नहीं किया था। लेकिन जब महाराणा प्रताप के ऊपर मुसीबत आई और देश की आजादी को शंका पैदा हुई तो भामाशाह ने 25 साल के लड़ने का सोना दिया उनको। लेकिन यह कुछ करना तो चाहते नहीं, देश को बचाना चाहते नहीं और नई नई रेस्ट्रिक्शंस लगाते जाते हैं। महात्मा जी ने कहा था: **दैट गवर्नमेंट इज बैस्ट विच गवर्न्स दि लीस्ट**। लेकिन हमारी सरकार कल को शायद यह भी कानून बना दे कि डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कितनी चाय पी है, कितना दूध पिया है, कितना चावल खाया है, कितनी सब्जी खाई है, कितनी दफे खाना खाया है। मुझे इनके ऊपर बड़ा रहम आता है। हमारे उप-प्रधान मंत्री बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। मुझे उन की देशभक्ती उन के करेक्टर पर कोई शक नहीं, लेकिन बुद्धि की कमी है। जो मैं खबर पढ़ता हूं और सोचता हूं कि मोरारजी भाई ने यह बयान दिया पिछले दिनों कि मद्य निषेध के लिये जनता सत्याग्रह करे तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सत्याग्रह ऐसी चीज है कि वह लोग खुद ही करेंगे ? मोरारजी भाई झंडा लेकर चलें, मैं फालो करूंगा। लेकिन मोरारजी भाई खुद तो जनता को कहें कि चढ़ जा बेटा सूली पर राम भला करेंगे, तो ऐसे जनता मानने वाली नहीं है। आपके अन्दर इतना आत्म-बल होना चाहिए कि आप सत्याग्रह सब से आगे चल कर करें। हिन्दी के लिए सत्याग्रह की जरूरत है, मद्य-निषेध के लिए जरूरत है, विवाह शादियों में दिये जाने वाले दहेज के लिए सत्याग्रह की जरूरत है, कुरीतियों के लिए सत्याग्रह की जरूरत है, लेकिन हमारे उप-प्रधान मंत्री जी स्टेटमेंट तो जारी करते रहे और खुद किसी सत्याग्रह में हिस्सा न ले तो देश कभी भी आन्दोलन में आगे नहीं बढ़ सकता।

आज सब से बड़ी जरूरत इस बात की है कि सोने के ऊपर आपने कंट्रोल लगाया यह जाहिर करें कि इससे आपको क्या लाभ हुआ ? सोनारों को रोजगार देने में 20 करोड़ रुपया सरकार को खर्च करना पड़ा और इससे ज्यादा 29 लाख रुपया खर्च करना पड़ा इस गोल्ड कंट्रोल को लागू करने के लिए। देश के कोई चीज हाथ नहीं आई। तो देश इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। देश आगे तब बढ़ेगा जब देश की दौलत बढ़े और उसके दरवाजे आज आप बन्द करते जा रहे हैं। न बिजनेस का दरवाजा है, न एग्रीकल्चर का दरवाजा है। किसी तरह का नौजवानों के लिए आगे बढ़ने का कोई उपाय है आज ? इंग्लैंड के अन्दर ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो लोग आते हैं वह बहुत ऊंचे नहीं समझे जाते, थर्ड रेट के लोग आते हैं। ऊंचे लोग बिजनेस में आते हैं और जो बेस्ट ब्रैन्स हैं वह ऐग्रीकल्चर जाते हैं। लेकिन यहां कानून बना रखा है, अगर कोई नया लड़का यूनिवर्सिटी से निकल कर हार्टीकल्चर में, एग्रीकल्चर में रेकर्ड बीट कर के आता है तो आपके कानून के मुताबिक 12 एकड़ से ज्यादा जमीन वह नहीं खरीद सकता। अब उस 12 एकड़ में न वह कैटिल यार्ड बना सकता है, न पोल्ट्री फार्म बना सकता है, बगीचा भी नहीं लगा सकता, छोटा सा आर्चर्ड भी कायम नहीं कर सकता। सारे दरवाजे उसके लिए बन्द कर रखे हैं। अगर गांधी जी के शब्दों पर आप चलना चाहते हैं,

देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो इस गोल्ड रेस्ट्रिक्शन को खत्म कीजिये। मौका दीजिये देश को कि देश के अन्दर सोना बढ़े। देश की इज्जत सोने के साथ बढ़ेगी नहीं तो देश की दौलत कुंठित हो जायगी, हरगिज आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे याद है, जब गांव के अन्दर गोल्ड आर्नामेंट्स रख कर हम अपने साहूकार से रुपया लाते थे। साहूकार चीपेस्ट बैंकर आफ दि वर्ल्ड होता था। आज आपने उसकी जगह कोआपरेटिव को लाकर हमारे दरवाजे पर बांध दिया जहां हमें 50 प्रतिशत सूद देना पड़ता है। साहूकार चीपेस्ट बैंकर आफ दि वर्ल्ड जब रहता था तो हमें रात दिन परेशान नहीं होना पड़ता था। उसको आपने खत्म कर दिया। वह हमारी जरूरत के वक्त काम आने वाला होता था, हमारा लीडर, हमारा नेता होता था। उस की जगह कोआपरेटिव लाये। नतीजा क्या हुआ? देश की दौलत खत्म हो गई। माननीय उप-प्रधान मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि उल्टे उल्टे काम न करें। देश को आगे लेकर चलें। देश आगे बढ़ना चाहता है, आप उसे पीछे घसीटते हैं। देश चाहता है कि सोना ज्यादा से ज्यादा पैदा करे। हम तो कहते हैं कि एक साल के लिए कानून बनाइये कि जो जितना ज्यादा सोना ला देगा वह उतना ही ज्यादा पुरस्कृत किया जायगा। 50 हजार करोड़ का सोना आज देश में होता तो देश आगे बढ़ा होता। दिगाल ने फ्रांस में अभी कहा है कि कागज के स्टैंडर्ड को खत्म करके सोने का स्टैंडर्ड कायम किया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर सोना बढ़ेगा तो देश की दौलत बढ़ेगी। माननीय उप-प्रधान मंत्री जी इस मामले में अपनी हठधर्मी वापस ले लें। हठधर्मी दिखाना है तो पाकिस्तान के मुकाबले में दिखायें, चीन के मुकाबले में दिखायें। यह जनता तो आपकी है। इसके सामने हठधर्मी क्यों दिखाते हैं? जितनी बहादुरी दिखलानी है हमारे सामने न दिखाएं, लद्दाख के मोर्चे पर दिखायें चीन और पाकिस्तान के मुकाबले में दिखाएं लेकिन उन्हें तो आप देते जा रहे हैं, तश्तरी में रख कर देते जा रहे हैं, हाजीपीर दे दिया, टिथवाल और कारगिल दे दिया और हिन्दुस्तान में अगर किसी के पास एक अंगूठी है तो उससे आप हिसाब मांग रहे हैं। इस तरह देश हरगिज आगे नहीं बढ़ेगा। देश पीछे हटेगा।

मेरी आपसे अर्ज है कि मैं विरोधी शब्द को सही नहीं मानता। मैं आपका हितैषी हूं और हितैषी होने के नाते :

> स किं सखा साधु न शास्ति योऽधिपम्
> हिताम्न यः संश्रिणुते स किं प्रभुः।
> हिताम्रा यः संश्रिणुते स किं प्रभु :।

यह जो लफ्ज है अपोजीशन का यह इंग्लैंड का दिया हुआ, पाश्चात्य सभ्यता का दिया हुआ है। हम आपके हितैषी यहां बैठे हुए हैं और उस नाते कहना चाहते हैं कि कृपा करके यहां जो ऊटपटांग लेजिस्लेशन है इसको आप वापस लीजिए और देश की जनता के ऊपर रहम खाइए।

श्री मोरारजी देसाई : उपाध्यक्ष महोदय, यशपाल जी ने बहुत खूबी से बताया कि मेरे में और तो कुछ अच्छा है मगर बुद्धि कम है। मैं इसके लिए उनका बहुत ऋणी हूं। मगर इतना जरा उनसे अदब से कहना चाहता हूं कि बहुत बुद्धि रखने की वजह से वह समझ कम दिखाते हैं क्योंकि धीरज कम रखते हैं। नहीं तो मुझे कहना नहीं पड़ता। सोना यहां पर 50 करोड़ का आ जाय, आगे बढ़ाने में आ जाय, आकर करेगा क्या सोना? खाएंगे लोग? इस देश में हम क्या चाहते हैं? इस देश में हम चाहते हैं कि हमारे उद्योग धन्धे बढ़ें, खेती हमारी समृद्ध हो। यह सारा करना चाहते हैं तो सोना रखने से तो होगा नहीं। सोना तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। वह पैसा काम में लगाएंगे तब यह सारी सारी बातें होंगी। लोगों को पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा और यह सारी बातें होंगी। सोना रखने से क्या होगा? सोना रखने से कुछ होना नहीं है।

[श्री मोरारजी देसाई]

इसीलिए सोना रखना नहीं चाहिए । मगर ज्यादा बुद्धि वाले को कम बुद्धि वाला कैसे समझाए ? मेरे लिए यह मुश्किल है । इसलिए बहुत समझाने की मुश्किल में मैं क्यों पड़ूं ? उन्होंने कहा कि वह मेरे खैरख्वाह हैं । मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं, उन का आभार भी मानता हूं । मगर मैं भी तो उनका ही खैरख्वाह हूं । आखिर दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं । वह मुझे रास्ता दिखलाने के लिए बैठे हैं, इतना ही नहीं है मैं भी उनको रास्ता दिखलाने के लिए बैठा हूं । आखिर दोनों का हक तो एक ही है न ? तो यह गैरबराबरी क्यों ? मेरी बात अगर वह न सुनें तो उनकी बात मैं कैसे सुनूंगा ? मेरी तो वह सुनते नहीं और न मेरे से पहले तीन चार इस पार्लियामेंट में हो गए, उनकी उन्होंने सुनी । तो वह भी नहीं सुनते हैं तो मैं भी नहीं सुनूंगा । इसलिए उनके विरोध में कुछ दम नहीं है, इतना ही मुझे कहना है ।

I rise to move for reference of the Gold (Control) Bill, 1968, to a Joint Committee of the two Houses. The basic gold policy of the Government has been explained on the floor of the House on several occasions and at this stage it is not necessary for me to go into details to reiterate the justification for following this policy. Suffice it to say that the country can ill-afford to fritter away its scarce foreign exchange resources on the clandestine imports of gold. It has to be recognised that the Cutoms vigilance by itself cannot be sufficient to effectively combat smuggling over the long borders and vast coast lines. The anti-smuggling measures have necessarily to be supplemented by a detailed system of control over internal transactions so as to make the circulation of smuggled gold more and more difficult. The Committees which were asked to report on this subject have endorsed the policy underlying the Gold Control measure and after full discussions it was approved by Parliament when it enacted the Gold (Control) Act, 1965.

Before the Gold (Control) Act, 1965, was passed, the Bill was referred to a Joint Committee of both Houses of Parliament. This Committee constituted under the chairmanship of Shri S. V. Krishnamurthy Rao, comprised 45 Members. The Committee examined the Bill in great detail in 13 sittings and received a large number of written memoranda and representations, as many as nearly 2 lakhs. The Committee also took oral evidence, and 47 Associations, apart from some Members of Parliament and officials appeared before it to give evidence. After this elaborate consideration, the Joint Committee commended the Bill to the Parliament which then enacted the Gold (Control) Act, 1965.

The basic pattern of control, which was incorporated in the Gold (Control) Act, 1965, was, in essence, far more restrictive and strict than what is now embodied in the Gold (Control) Bill, 1968. Under the 1965 Act, there was the 14-carat restriction on the manufacutre of ornaments which is no longer there. Instead, the modifications of the Gold Control announced in 1966, provide for a ban on private possession of primary gold, declaration of ornaments above specified limits and stricter Government control over gold refineries. These measures, which have been discussed in the Parliament on several occasions, cannot be said to unduly affect either the public at large or interfere with the legitimate business of goldsmiths and gold dealers. The present Bill only seeks legislative sanction for this modified pattern of Gold Control. Apart from changes of drafting nature and re-arrangement of chapters, the only other changes in the present Bill are with a view to tightening up the procedural aspects of the Control and removing some administrative lacunae. The Bill being in replacement of the Gold (Control), Ordinance, 1968, it is also necessary that

it is enacted within six weeks of the commencement of the current Parliament session.

I, therefore, did feel that since the basic policy underlying the Gold Control measure, even when the pattern of Control was more restrictive and stringent, has already received an elaborate consideration by a Joint Committee, it was really not necessary to refer this Bill to a Select Committee again. However, in deference to the wishes of the Honourable Members and also on account of the agreement that the Bill will be passed before the end of this Session I have agreed to the reference of the Bill to a Joint Committee of the two Houses. The Hon'ble Members will no doubt appreciate, that the Gold (Control) Ordinance has to be replaced by a Statute by the end of August, 1968. Accordingly, I move:

"That the Bill to provide, in the economic and financial interests of the community, for the control of the production, manufacture, supply, distribution, use and possession of, and business in gold, ornaments and articles of gold and for matters connected therewith or incidental thereto, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 38 Members, 25 from this House, namely:—

1. Shri K. M. Abraham
2. Shri S. M. Banerjee
3. Shri Sonubhau Dagadu Baswant
4. Shri Onkar Lal Bohra
5. Shri N. Dandeker
6. Shri George Fernandes
7. Shri Sitaram Kesri
8. Shri S. M. Krishna
9. Shri Brij Bhusan Lal
10. Shri Anbazhagan
11. Shri Bakar Ali Mirza
12. Sardarni Nirlep Kaur
13. Shri Krishna Chandra Pant
14. Shri Nanubhai N. Patel
15. Shri S. B. Patil
16. Shri R. Surender Reddy
17. Shri A. S. Saigal
18. Shri Dwaipayan Sen
19. Shri Sheo Narain
20. Shri Digvijaya Narain Singh
21. Shri Chandrajeet Yadava
22. Shri Tridib Kumar Chaudhuri
23. Shri N. Shivappa
24. Shri O. P. Tyagi
25. Shri Morarji R. Desai, and

13 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the 9th August, 1968;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 13 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

16.59 hrs.

[SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

MR. CHAIRMAN: The motion is before the House. Now, there are some amendments. Is Shri Kanwar Lal Gupta moving his amendment?

श्री कंवर लाल गुप्त : सभापति जी, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन सदन के सामने रखता हूं :—

That the Bill to provide, in the economic and financial interests of the community, for the control of the

[श्री कंवर लाल गुप्त]

production, manufacture, supply, distribution, use and possession of, and business in, gold, ornaments and articles of gold and for matters connected therewith or incidental thereto, be referred to a Select Committee consisting of 14 members, namely:—

Shri Jyotirmoy Bosu, Shri Morarji Desai, Shri Indrajit Gupta, Shri Hem Barua, Shri Kameshwar Singh, Shri V. Krishnamoorthi, Shri D. N. Patodia, Shri Mrityunjay Prasad, Chaudhari Randhir Singh, Shri Prakash Vir Shastri, Shri Sheo Narain, Shrimati Tarkeshwari Sinha, Shri Prem Chand Verma, and Shri Kanwar Lal Gupta;

with instructions to report by the 8th August, 1968. (1).

17 hrs.

SHRI DEVEN SEN (Asansol): I move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th December, 1968." (2).

MR. CHAIRMAN: Then, Shri Erasmo de Sequeira, Shri R. R. Singh Deo—not present. Shri Gadilingana Gowd.

SHRI GADILINGANA GOWD: Since the hon. Minister has included those names, I am not moving the amendment.

MR. CHAIRMAN: The amendments moved by Shri Kanwar Lal Gupta and Shri Deven Sen are also before the House.

श्री कंवर लाल गुप्त : सभापति जी, मुझे इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इस पर तफसील से विचार किया जायेगा। परन्तु मैं एक बात समझता हूं कि मोरारजी भाई के नाम के पीछे दो बातें मशहूर हैं— एक तो यह कि उन्होंने नशाबन्दी का आन्दोलन सारे देश में खड़ा किया, दूसरे—यह गोल्ड कन्ट्रोल। जब इन दो चीजों के नाम आते हैं तो मोराजी भाई याद आ जाते हैं। नशाबन्दी के बारे में मोरारजी भाई को ऊपर से नीचे तक जनता का पूरा समर्थन प्राप्त था, कुछ ऊपर के लोगों को छोड़ कर जिनको बड़े आदमी कहते हैं, शायद उनका विरोध मोरारजी भाई को मिला होगा। लेकिन यह गोल्ड कन्ट्रोल के बारे में स्थिति उल्टी है, कुछ हाइली-सोकाल्ड इन्टलैक्चुअल्ज, जिनका जनता के साथ कोई वास्ता नहीं है, इस तरह के इकोनोमिस्ट्स का शायद समर्थन प्राप्त हो, लेकिन जनता में इसका बिल्कुल भी समर्थन प्राप्त नहीं है तथा जनता इसे काले कानून की हैसियत से याद करती है। जब गोल्ड कन्ट्रोल एक्ट बना तो यह बहुत ही हेस्टी और इलकन्सीव्ड एक्ट था।

मैं सिद्धान्त रूप में इस बात को स्वीकार करता हूं कि आजकल के जमाने में जेवर या सोना घर में पड़ा रहे, उसका प्रयोग न हो, यह कोई अच्छी बात नहीं है, कारखाने में, उत्पादन में उसका उपयोग होना चाहिये, लेकिन हजारों सालों से जो परम्परायें हमारे देश में चली आ रही हैं तथा जिस तरह का इकानामिक सेट अप हमारे देश का बना हुआ है, जल्दी से कोई कानून बना कर उस को खत्म नहीं किया जा सकता। अच्छा तो यह होता कि आहिस्ता आहिस्ता सरकार लोगों को शिक्षित करती, उसका महत्व लोगों को समझाती, जिस तरीके से आप आजकल फैमिली प्लानिंग का प्रचार कर रहे हैं, बड़े जोर शोर से चारों तरफ हर जगह फैमिली प्लानिंग का प्रचार हो रहा है, उसी प्रकार से, उतना नहीं तो थोड़ी कम मात्रा में उस का प्रचार करते और लोगों को समझाते कि जो सोना आपके पास है उसे किसी उत्पादन कार्य में लगाइये—तो उसके परिणाम अच्छे निकल सकते थे। लेकिन सरकार ने एक

डण्डे से यह सोच कर कि सारा सोना बाहर आ जाएगा, स्मगलिंग कम हो जायगा, सोने की कीमत गिर जायगी, इस का देश को बहुत लाभ होगा—मैं यह कह सकता हूं कि जो बातें गोल्ड कन्ट्रोल एक्ट बनाते समय सोची गई थीं उनमें से एक चीज भी आज तक पूरी नहीं हुई, न कीमतें कम हुई हैं। यह ठीक है कि जब गोल्ड कन्ट्रोल एक्ट बनाया तो थोड़े दिनों के लिए कुछ स्थिरता रही। यूं तो जब कोई भी उल्टा-सीधा कानून बनता है तो पहले लोग घबरा जाते हैं लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके बाद कीमतें बढ़ती गई हैं, कीमतें गिरी नहीं हैं। स्मगलिंग का जहां तक सम्बन्ध है, मोरारजी भाई कहेंगे कि स्मगलर्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरे पास एक पर्चा है जिसके अनुसार सरकार दो सौ करोड़ रु० से 5 सौ करोड़ रु० तक का एस्टीमेट लगाती है। ..... (व्यवधान)

श्री मोरारजी देसाई : आपके किसी साथी ने कहा होगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : बहरहाल सरकार की मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अब स्मगलिंग कम हो गई है? अगर वे सच्ची तरह से जवाब देंगे तो यही कहेंगे कि स्मगलिंग कम नहीं हुई है। मैं श्री मोरारजी भाई को एक बहुत मजबूत और ईमानदार नेता मानता हूं। लेकिन मैं उन से एक सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने लोगों से कहा कि आप जेवर बना सकते हैं। और वह इस तरह से बना सकते हैं कि पुराने जेवरों को तोड़ कर नए जेवर बना सकते हैं। मैं चेलेंज के साथ कहता हूं कि आप इस का सर्वे कर लीजिए, सी०बी० आई० के जरिए, लेकिन जितने भी इस प्रकार के जेवर बनाए जाते हैं उन में 90 प्रतिशत नए सोने से बनाए जाते हैं, पुराने सोने (जेवर) से नहीं बनाए जाते हैं और वह सब काम बोगस किया जाता है। यह सरकार तो ऐसे कानून बना कर लोगों को बेईमान बना रही है, उन के चरित्र को भ्रष्ट कर रही है और इस प्रकार से सारे देश को भ्रष्ट किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि आप इस का सर्वे कराइये कि किस तरह से लोग बोगस दस्तखत करते हैं कि फलां दो आदमी से जेवर खरीदा और उस को पिघला कर फिर नया जेवर बनाया गया। मैं समझता हूं कि आप को, जो फैक्ट्स हैं और जो वस्तुस्थिति है उस का सामना करना चाहिए, एक कबूतर की तरह आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा कि हम ने तो कानून बना दिया और हमारा हुक्म लागू हो गया, लोगों ने स्मगलिंग करना बन्द कर दिया, सोने का इस्तेमाल भी बन्द हो गया, सोने की कीमतें भी गिर गयीं। आप के इस नादिरशाही हुक्म से कोई चीज कम नहीं हुई है। खास तौर से जो आप का इंस्पेक्टोरेट है, जो एनफोर्समेंट का स्टाफ है उस की तो चांदी हो गई है। आज हमारी सोसायटी के चरित्र का जो स्तर है अगर उस तरह से देखा जाये तो जितना करप्शन उस में है, उस में जो लोग करप्ट हैं वे उस का व्यापार करते हैं और जो ईमानदार हैं वे उस में पिसे जा रहे हैं। आज साढ़े चार लाख गोल्ड स्मिथ जिन पर वह लागू हुआ है वे भूखों मर रहे हैं और उन के पास जीविका का कोई साधन नहीं है। इसलिये, मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जब आप सेलेक्ट कमेटी में जा रहे हैं तो उन को भी दोबारा बुलायें।

श्री मोरारजी देसाई : यह नहीं हो सकता है। तीन दिन में काम पूरा करना पड़ेगा। फिर इस बार गोल्ड स्मिथ्स ने कोई अर्जी भी नहीं दी है, कोई रिप्रेजेन्टेशन भी नहीं किया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : कोई बात नहीं। हम भिजवा देंगे। मैं चाहता हूं कि आप उन को वहां पर बुलाइये और उन की राय लीजिये। इस के अलावा एक बार आप को इस की वर्किंग के बारे में रेव्यू जरूर करना चाहिये। आप इस को पास तो जरूर कर देंगे क्योंकि

[श्री कंवरलाल गुप्त]

बहुमत आप का है लेकिन तीन चार साल में इस की कैसी वर्किंग रही, कुछ इफेक्टिव रहा या नहीं, यह चीज हमारे सामने अगले सेशन में जरूर आनी चाहिए, ताकि इस सदन और देश को मालूम हो कि आप ने जो कानून बनाया है, उस का कुछ लाभ भी हुआ है या नहीं ? अगर लाभ नहीं हुआ है तो फिर मैं मोरारजी भाई जैसे आदमी से यह अपेक्षा जरूर करूंगा कि वे इसे स्वयं वापिस ले लेंगे ।

श्री देवेन सेन : मेरी तरमीम इस आशय की है कि इस बिल को जनमत के लिए परिचालित किया जाए, पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्कुलेट किया जाए और 31 दिसम्बर तक का समय इस के लिए दिया जाए । माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया, इस बिल को पेश करते हुए कि आर्थिक और वित्तीय हित के लिए यह बिल लाया जा रहा है लेकिन मैं इस को नहीं मानता हूं । मैं देखता हूं कि इस बिल के जरिये से इस समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि स्वर्णकारों का है, वह बर्बाद हो जायेगा । इस देश में स्वर्णकारों की संख्या 20 लाख है और यदि एक के परिवार में पांच व्यक्ति ही मान लिये जायें तो उन की संख्या एक करोड़ हो जाती है। इस प्रकार एक करोड़ आदमियों की रोजी नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगी, व सब बेकार हो जायेंगे । इसलिए मैं इस बिल को जनमत के लिये भेजना चाहता हूं ।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि इस बिल में स्वर्णकारों को अपना एक भी आदमी रखने का हक नहीं दिया गया है । व अपना कोई भी हितैषी वहां नहीं रख सकते हैं । दूसरे गोल्डस्मिथ को इस बिल के जरिये सौ ग्राम से अधिक सोना रखने का हक नहीं दिया गया है । यह तो एक तरफ का नक्शा है । दूसरी तरफ का नक्शा यह है कि सोने से सम्बन्धित भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है । सोने की शक्ल में जो ब्लैक-मनी है वह भी घटा नहीं है । साथ ही देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है । ऐसी दशा में मैं अपनी तरमीम को पेश करना चाहता हूं ।

इस के साथ ही साथ यह भी बतलाना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वर्णकारों को जो भरोसा दिया था कि तुम को पुनर्वास दिया जायेगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा दिया जायेगा लेकिन उन में से कोई चीज नहीं की गई है । स्वर्णशिल्प हिन्दुस्तान का बहुत पुराना शिल्प है । उस की ख्याति हिन्दुस्तान के बाहर भी सभी जगह पर है । लेकिन आज हम लोग उस स्वर्ण शिल्प को एकदम बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं इस बिल के जरिये से । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप को गोल्ड कन्ट्रोल करना ही है तो स्वर्ण शिल्प को एक कुटीर शिल्प की तरह से माना जाये । सरकार सोना खरीद कर के उन को बेचे और फिर उन से बाद में चीजों को खरीद कर बाहर भेजने का प्रयत्न करे ।

इतना ही कह कर मैं अपने अमेन्डमेन्ट को पेश करता हूं ।

MR. CHAIRMAN: Shri Viswanatham.

SHRI MORARJI DESAI: Now you should put the question. In the Business Advisory Committee it was agreed that there will be no discussion.

MR. CHAIRMAN: But the parties have asked me to call their representatives.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH): But the parties had agreed in the Business Advisory Committee to send it to the Committee without discussion.

MR. CHAIRMAN: If there is an agreement, I will put the question.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) There should be some preliminary discussion. That is why one hour time was allotted. If it was intended that it might be sent immediately to the Joint Committee without any discussion, the time allotted should have been only 10 or 15 minutes, why one hour. It was agreed that there should be some preliminary discussion.

SHRI TULSHIDAS JADHAV (Baramati): Have we not the right to suggest to the Select Committee that such things should be done?

SHRI MORARJI DESAI: That will be considered in the Select Committee.

MR. CHAIRMAN: I find 1 hour is allotted to the discussion. I think, nearly 35 minutes are over. I should like to give Members a few minutes each if they are able to adjust themselves within the time allotted. I want to conclude this by 5.25 p.M. Shri Tenneti Viswanatham.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam): Mr. Chairman, Sir, there is a tendency to belittle the value of gold. A new kind of economists have come and they, generally, belittle the value of gold. But the World Bank always wants gold. The rich nations and the industrial nations want to amass as much gold as possible. And yet they tell us that gold is not very valuable, that you have got your ordinary means of credit facility and all that and, therefore, don't attach any value to gold. But, actually the ultimate strength and the backbone of the world's economy depends upon gold.

Now, the hon. Deputy Prime Minister told us that gold should not be hoarded but must be utilised for development purposes. Good. But the hoarded gold is different from the little amount of gold which our women have as ornaments. You cannot call that as hoarding. The hoarders, probably, are in Bombay or somewhere and they are the big people who are not easily caught by the Government Departments. But when women have a few ornaments, they call it hoarding; it is only misusing the language. What is, after all, the value of gold hoarded in that sense? It is about Rs. 300 to Rs. 400 crores. What is the annual revenue of the Central Government, leaving aside the State Governments? It is Rs. 3000 to Rs. 4000 crores. What is Rs. 300 to Rs. 400 crores as against that? The total value of gold which is said to have been hoarded on the ears, the nostrils and the arms of some women is about Rs. 300 to Rs. 400 crores. This is the total capital value.

SHRI MORARJI DESAI: How much is it?

SHRI TENNETI VISWANATHAM: It is about Rs. 300 to Rs. 400 crores. That is what the Government records show. They say that the total value is about Rs. 300 to Rs. 400 crores. Not more than that.

SHRI MORARJI DESAI: No, no. That is what the people who make the estimates say. I have not made the estimate.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: I stand corrected. Nobody has made the assessment. But everybody says there is a lot of gold in India. The fact remains that there is not much gold in India. There are varying estimates. One estimate is that it is Rs. 300 to Rs. 400 crores. Let it be 10 times more. Well, it will be only as much as what the Central Government gets in one year. You cannot say that it has affected our planning. If it is Rs. 300 to Rs. 400 crores, what is it? You are giving away nearly Rs. 240 crores—possibly you have reduced it—or a little more as gifts to those who get themselves operated for vasectomy and for loops. You throw away money like anything on worthless schemes. But if women

[Shri Tenneti Viswanatham]

have a little gold which stands in good stead, which stands in times of need as help and succour you say it is hoarding. Nobody questions your motives. Only, the operation is not right. The amount involved is very small compared with our annual revenues.

Then, you thought that smuggling will be stopped. Now, the proceedings of the Lok Sabha in the last 13 to 14 months period that I have been here, generally, point to the direction of increased smuggling and not, in any way, of reduced smuggling. Smuggling must be controlled by another method, namely, the Government must be strict. The smugglers must know that Government means business, that Government is anxious to put down smuggling. As long as the smugglers do not feel that, you cannot stop smuggling. Nobody wants smuggling. But the Gold Control Order is not the way. Anyway, for the little good that you might do by way of stopping some of the smugglings, you have ruined by this Gold Control Order nearly 20 to 25 lakhs of families. We are here to develop our nation; we are here to give succour to every one that is born in this country; we are here to create occupations; we are here to create vocations. But what does this Bill do? What has it done? During its existence, nearly 20 to 25 lakhs of goldsmith families have been ruined: some of them have committed suicide; some of them have been turned out of their houses because they were not able to pay even the house rent; I have seen the suffering with my own eyes. Still it is said, gold control is very good!

Now there is another thing. Famous orders were passed to control gold. I can understand controlling gold or limiting the use of gold or putting a ceiling on the possession of gold, but there were orders to adulterate gold—reduce it to 14 carats, reduce it to something less. Why should all this be done? I think, there is something which is lacking in my understanding of the situation, but what has happened in the country shows that how I understand is how people understand. Even assuming that what the Deputy Prime Minister says is perfectly right, if the nation does not understand him, if lakhs of families are being ruined and the smuggling has not been stopped, there is no purpose in trying to push it through by referring it to a Joint Committee with the direction that it should report to the House before 9th August. It has to go to the Rajya Sabha and they must select their members. So, how is it possible to finish in nine days a measure which has been agitating the minds of lakhs and lakhs of people in this country? So, it should not be hurried through in this manner. It is better, as my hon. friend has said, to circulate it for eliciting public opinion and then take it up in the December Session. This is my humble submission.

MR. CHAIRMAN: Mr. S. M. Banerjee.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): *rose—*

SHRI TULSHIDAS JADHAV: Those who are members of the Joint Committee are taking part now! Mr. Banerjee is a member of the Joint Committee . . . (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Is he in the Joint Committee?

AN HON. MEMBER: Yes.

MR. CHAIRMAN : Then I would request him to observe the convention . . .

SHRI S. M. BANERJEE: But here is a situation where no other member of my Party is present. I came all the way for this. There is no other member of my Party present here. If I do not speak, my Party will go unrepresented . . .

MR. CHAIRMAN: There will be ample time for him to participate in the Joint Committee. Let us not break the convention . . .

SHRI S. M. BANERJEE: But the convention has been broken here several times.

MR. CHAIRMAN: Anyway, having called him, I do not want to be harsh. I would request him to complete his speech in three or four minutes. We have to adhere to the time schedule.

SHRI S. M. BANERJEE: Let me start first.

सभापति महोदय, चूंकि यह बिल संयुक्त समिति को जा रहा है इसलिए वहां हो सकता है कि कुछ हम लोगों को इस पर डिटेल में विचार करने का मौका मिले कि वाकई में इस विधेयक की ज़रूरत है अथवा नहीं । लेकिन मैं आज इस मौके पर वित्त मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में यह सही नहीं है कि तीन मकसद जिनको कि आधार बना कर यह गोल्ड कण्ट्रोल बिल लाया गया था उनमें से एक भी हासिल नहीं हो पाया है ? उन तीन मकसदों में से पहला हमारा मकसद यह था कि सोने का तस्कर व्यापार कम होगा । दूसरा यह था कि जो छिपा हुआ सोना है वह बाहर आ जायेगा और तीसरा मकसद यह था कि सोने के बेतहाशा ऊपर चढ़े हुए भाव नीचे गिरेंगे और सोने का अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो दाम है उसके साथ मिले जुले दाम होंगे । लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि और मुझ से ज्यादा वित्त मन्त्री जी जानते हैं कि इन तीनों मकसदों में से एक भी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है । तब फिर इसको क्यों रखना चाहिये ? उनका कहना है कि सोने के प्रति लोगों की इतनी लालसा क्यों रहे ? ठीक है, लेकिन आज भी अगर आप किसी परिवार में चले जायें तो गलत हो या सही, वह समझते हैं कि यह कानून गलत तरीके से लाया गया था ।

स्वर्णकार बन्धुओं की जो हालत है वह आपको अच्छी तरह से मालूम है । उनमें से कितने ही लोगों ने खुदकुशी कर ली है । इस बारे में मैं बार बार नहीं कहना चाहता, लेकिन उन्होंने खुदकुशी इसलिये कर ली कि उनके पास सिवा इसके कोई चारा नहीं था कि वह आत्महत्या कर लें ।

ऐसी हालत में यह निश्चित है कि जिन मकसदों के लिये यह गोल्ड कण्ट्रोल आर्डर लाया गया था उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ । उनका हासिल करने की वित्त मन्त्री ने कितनी ही कोशिश की लेकिन वह हासिल नहीं कर सके । गोल्ड कण्ट्रोल आर्डर लाया गया था इसलिये इस बिल को यहां पर रक्खा जाये यह गलत है ।

1962 में जब चीनियों ने इस देश पर आक्रमण किया तब हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री नेहरू ने सारे देश का आह्वान किया कि आर्नामेंट फार आर्नामेंट वह चाहते थे कि जेवरात दे दिये जायें और जेवरात के बदले हथियार खरीदे जायें क्योंकि हमें जरूरत थी जिसमें कि जो चीनी हमारी सीमाओं पर ललकारते थे उनकी चुनौती का सामना किया जाये और उनको हटाया जाये । या तो आवेश में आकर या सच्चा जजबा लोगों में था, उन लोगों ने कितना ही सोना दिया । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो सोना रिजर्व बैंक में दाखिल हुआ लोगों की मार्फत उसका क्या हुआ ? लोग आज हम से पूछते हैं कि वह सोना गया कहां ? क्या उसमें वाकई हथियार बने या किसी ने उसको हथिया लिया । इसका कोई हिसाब नहीं है । मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी सही तरीके से इस बात को सदन के सामने रक्खें कि वह सोना आखिर हुआ क्या ? हम जानते हैं कि कितने बुरे तरीके से नेशनल डिफेन्स फण्ड का काम चला । सोने के बारे में भी लोगों का ख्याल वैसा ही है ।

[श्री एस० एम० बनर्जी]

अन्त में मैं एक निवेदन करके बैठ जाऊंगा । मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ से, जो कि सारे हिन्दुस्तान के पैमाने पर स्वर्णकारों का संघ है, वार्ता करें और उनको मौका दें अपनी सारी दिक्कतों को सामने रखने का, जिसमें कि वह फैसला कर सकें कि उनको यह बिल रखना चाहिये या नहीं और अगर रखना है तो क्या संशोधन करना है ताकि सही तरीके से यह चीज आ सके । अगर वह फैसला करें कि इस बिल की कोई जरूरत नहीं है और इससे कोई फायदा नहीं है तब मैं समझूंगा कि देर आयद दुरुस्त, आयेद, कम से कम सीधे रास्ते पर तो आये । मैं वित्त मन्त्री जी को जानता हूं कि उनमें इतनी हिम्मत तो है कि सही बात कहते हैं चाहे वह हमारे मन के माफिक हो या न हो । उन की हां या नहीं कहने की आदत है और सही तरीके से कहते । मैं समझता हूं कि अगर वह मुतमइन हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है तो वह आकर सदन में कहेंगे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और इसको वापस लेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं और मन्त्री महोदय से अपील करता हूं कि वह अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के प्रतिनिधियों से जरूर वार्ता करें, नहीं तो उनके दिल में यह खटका होगा कि उनसे पूछ नहीं गया ।

MR. CHAIRMAN: Does Shri Yashpal Singh want time to reply? If he will take only two or three minutes, I can accommodate another hon. Member.

श्री यशपाल सिंह : मुझे केवल चार शब्द कहने हैं ।

SHRI C. K. BHATTACHARYYA (Raiganj): May I make a submission? Just now Shri S. M. Banerjee said that he does not accept the basic principle of the Bill. That being so, how can he be a member of the Joint Committee? Will you kindly decide this question?

SHRI S. M. BANERJEE: May I explain? The hon. Member has not perhaps followed what I said in Hindi. This question of accepting the basic principle before reference to Select Committee has already been discussed at length here. I said that this should at least be referred to a Select Committee.

MR. CHAIRMAN: I do not feel called upon to give a ruling.

SHRI S. M. BANERJEE: I object basically to Congressmen being here. Still they are here.

SHRI C. K. BHATTACHARYYA: When once the House sends a Bill to a Select Committee, at once it accepts the basic principles of the Bill. Otherwise, it does not go to Select Committee.

SHRI S. M. BANERJEE: This was argued at length at the time of the discussion of the Prevention of Unlawful Association Bill. We did not accept the principle of the Bill when it was sent to a Select Committee.

MR. CHAIRMAN: I do not want to spend time on this; it is not immediately relevant.

SHRI S. M. BANERJEE: What he has said should be expunged.

MR. CHAIRMAN: Shri Samar Guha.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): The people of our country have perhaps hardly seen an Act more draconian in concept and futile in achievement than the Gold Control Act. I feel that the curse of this Act forced our otherwise wise, experienced and nationalist leader Shri Morarji Desai to political *vana vas* for 5 years.

I want him to keep this in mind that this draconian Act had a toll of more than 200 lives of goldsmiths who

committed suicide, threw out of employment, hereditary employment, over a million people, involving over 2½ million family members, destroying an age-old cottage industry, disrupting an indirect rural banking system and also forcing a very docile, peaceful, mild community like the goldsmiths to resort to direct struggle and court arrest not in hundreds, but up to 25,000 all over India.

This Act, as I have already said, has failed in achieving any of the objects for which it was enacted. Its main object was to unearth Rs. 400 crores worth of hidden gold. I would ask the Finance Minister how much hidden gold has been unearthed. Its second object was to stop or control gold smuggling. I think in that aspect also the Act has failed completely. The third object was to standardize the price of gold, but we all know that the price of gold has shot up by 30 to 50 per cent. The fourth object was to use the unearthed gold and other gold for development purposes. I want to know how much gold has been used for development purposes.

As I have already said, this Act has disrupted an age-old cottage industry and brought untold miseries to millions of people. After throwing out of employment over two million people, they squandered, wasted, more than Rs. 1 crore in the name of rehabilitating these unemployed goldsmiths.

In the western world today women are using gold ornaments, and we can use our ornament industry to earn foreign exchange.

I will conclude by saying that we should learn a lesson from the past miseries that this Bill brought to the people of India. The Finance Minister himself once said that for over six months he had thought over this Bill, but he did not have an idea of the miseries that this Bill might entail.

The object of the Bill should be to control not the quality of the gold, but the quantity of the gold. If that can be done judiciously, this Bill may have some purpose to fulfil.

श्री यशपाल सिंह : जब तक वित्त मन्त्री जी इस सदन के सामने इस बिल की सार्थकता साबित न करें, यह साबित न करें कि कितना गोल्ड स्मगलिंग इस कानून के जरिये रुका है, कितना ब्लैक मार्किटिंग रुका है, तब तक मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह का बिल यहां लाया जाना चाहिये । जब इस तरह का अध्यादेश लाया जाता है तो उस से देश का कोई लाभ नहीं होता है । माननीय वित्त मन्त्री तथा उनकी सारी सरकार मिल कर भी एक गोल्ड स्मगलर तक को कोड़े नहीं लगा सकी है । उलटे इस कानून की वजह से 250 सुनारों को आत्महत्या तक करनी पड़ी है । इस कानून के कारण गरीब लोग तो मरे लेकिन जो गोल्ड स्मगलर थे, जो देश के लिए अनडिजायरेबल एलीमेंट थे, उनको सरकार चैक नहीं कर सकी, उनकी कार्रवाइयों पर सरकार रोक नहीं लगा सकी । गांधीजी ने इसलिए कुर्बानियां नहीं दीं कि आप अध्यादेश जारी करके राज्य चलायें और बाद में उस अध्यादेश को पार्लियामेंट से पास करवा लें । यह ठीक है कि आपके पास संख्या बल है, आपके पास तादाद की शक्ति है लेकिन हमारे देश की नैतिकता इस तादाद से बड़ी ऊंची है । जो लोग आज देश के निर्माण में लगे हुए हैं, उनका समाधान क्या आपने इस बिल में कुछ करने की कोशिश की है । आप जरूर इस पर विचार करें कि इस बिल से क्या आज तक हमारे देश को फायदा हुआ है, देश की दौलत बढ़ी है । मैं समझता हूं कि नहीं बढ़ी है । देश की दौलत तभी बढ़ेगी जब हम खेती के जरिये कमा कर, कारखानों के जरिये कमा कर ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करें । दौलत का स्टैण्डर्ड हमारे देश में क्या है ? हिन्दू धर्म के अन्दर ब्रह्मचर्य की चर्चा है । यह इसलिए किया जाता है कि

[श्री यशपाल सिंह]

ब्रह्मचर्य सिद्ध हो और यज्ञ करने का अधिकार उसी को है जो ब्रह्मचारी है । जिस तरह से साध्य और साधन दोनों ब्रह्मचर्य हैं उसी तरह से खेती की पैदावार और कारखानों की पैदावार से हमारे देश की दौलत बढ़ेगी और उसके सहारे सोना हमारे देश में बढ़ेगा । अगर देश के अन्दर सोना होगा तो देश आगे बढ़ेगा और अगर देश के अन्दर सोना नहीं है तो देश की कान्ति, देश का प्रताप, देश का इकबाल बढ़ने के बजाय नष्ट हो जाएगा ।

इस वास्ते मैं कहूंगा कि जब तक उप प्रधान मन्त्री किस हद तक इस बिल के सहारे सोने के स्मगलिंग को रोकने में सफल हो सके हैं और साथ ही साथ किस हद तक ब्लैक मार्केटिंग को रोकने में सफल हो सके हैं, यह न बतायें तब तक वह इस बिल को यहां न लायें । हमारे देश की दौलत बढ़ सकेगी तो वह तभी बढ़ सकेगी जबकि हमारे कारखानों की, हमारी खेती की पैदावार बढ़े । जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक इस बिल को यहां नहीं लाना चाहिये और अब भी इसे वह वापिस ले लें, यह मेरी उन से विनम्र प्रार्थना है ।

MR. CHAIRMAN: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his resolution?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 2 to the vote of the House.

Amendment No. 2 was put and negatived.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I withdraw my amendment No. 1.

MR. CHAIRMAN: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment?

Amendment No. 1 was, by leave withdrawn.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the main motion to the vote of the House.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Is the Minister not replying?

MR. CHAIRMAN: It is a motion for reference to the Joint Committee.

The question is:

"That the Bill to provide, in the economic and financial interests of the community, for the control of the production, manufacture, supply, distribution, use and possession of, and business in gold, ornaments and articles of gold and for matters connected therewith or incidental thereto, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 38 Members, 25 from this House, namely:—

1. Shri K. M. Abraham.
2. Shri S. M. Banerjee.
3. Shri Sonubhau Dagadu Ba want.
4. Shri Onkar Lal Bohra.
5. Shri N. Dandeker.
6. Shri George Fernandes.
7. Shri Sitaram Kesri.
8. Shri S. M. Krishna.
9. Shri Brij Bhushan Lal.
10. Shri Anbazhagan.
11. Shri Bakar Ali Mirza.
12. Sardarni Nirlep Kaur.
13. Shri Krishna Chandra Pant.
14. Shri Nanubhai N. Patel.
15. Shri S. B. Patil.
16. Shri R. Surender Reddy.
17. Shri A. S. Saigal.
18. Shri Dwaipayan Sen.
19. Shri Sheo Narain.
20. Shri Digvijaya Narain Singh.

21. Shri Chandrajeet Yadava.

22. Shri Tridib Gumar Chaudhuri.

23. Shri N. Shivapaa.

24. Shri O. P. Tyagi.

25. Shri Morarji R. Desai, and

13 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the 9th August, 1968;

that in order respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 13 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

17.34 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

OVER-FLYING OF PAKISTAN JETS ON INDIAN TERRITORY

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA (Barh): Sir, I had raised this discussion on the answer to starred question No. 65 taken up on the 24th July 1968 regarding the overflight of Pakistani jets over the Indian territory. This question came at the end of the Question Hour and therefore, we could not get any clarification from the hon. Minister. But I was surprised when the hon. Minister replied that the first flight of Pakistani jets took place in May. On May 9th the Defence Minister said in the Rajya Sabha in answer to a question that Pakistani's request for blanket permission was under consideration. Unfortunately, he did not reveal this fact that the flights were already taking place because my information is that the first flight took place not in May but in March. I would like to have a clarification from the hon. Minister as to why this statement was made and what is really the correct position.

I have also this information that this airport, Bkshi Ka-Talao, is not a civilian but a military airport and these plans are landing not at Amausi near Lucknow, but at Bakshi-Ka-Talao. The hon. Minister that day replied that these aircraft land at the civilian airport. But I do not know why a precaution which is normaly taken for the military aircraft, that they should not be allowed to fly on the civil lane, in the air, was not observed in this case. I would expect the hon. Minister to reply to this question as to why the precaution about overflights of military aircraft not to permit them to fly on the civil lane was not taken in this case.

There is another request that is pending with the Government of India The hon. Minister that day, in answer to a question, replied that this is on a reciprocal basis. But I would like to know from the hon. Minister as to what happened to our courier plane which went to England for some spares and they were not allowed to touch Karachi. If this is reciprocity on the basis of the Tashkent agreement, I do not know what kind of reciprocity we observe in this country. It was not even a military plane; it was a courier plane going to England for some spares and I understand that this plane was not allowed to land in Karachi. I would like to have this information from the hon. Minister whether this was a fact or not.

On about this generosity when once it was permitted, the Parliament and the country should have been